सीमाशुल्क

टिप्पण: (क) "सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन उद्‌गृहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ख) "सीवीडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्‌गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ग) "एसएडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्‌गृहीत विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(घ) "निर्यात शुल्क" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ङ) वर्गाकार कोष्ठकों [ ] में खंड संख्या वित्त विधेयक, 2013 के सुसंगत खंड को उपदर्शित करती है।

वित्त विधेयक, 2013 के माध्यम से किए गए संशोधन, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, उसके अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन

1) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ढ) का, "विन्यासों और भौगोलिक उपदर्शन" को शामिल करने के लिए संशोधन किया जा रहा है ताकि इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपबंध किया जा सके।

[खंड 54]

2) धारा 27 का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि प्रतिदाय का दावा की गई रकम 100 रुपए से कम है तो उसका प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

[खंड 55]

3) धारा 28 का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि मांग की गई रकम के 100 रुपए से कम होने की दशा में कारण बताओ सूचना तमील नहीं की जाएगी।

[खंड 56]

4) धारा 28खक का संशोधन किया जा रहा है, जिससे ऐसे किसी व्यक्ति की, जिसे धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन सूचना की तामील की गई है, से संबंधित संपत्ति की अनंतिम कुर्की के लिए उपबंध किया जा सके।

[खंड 57]

5) धारा 28ङ के खंड (क) को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जिससे विद्यमान आयातकर्त्ता या निर्यातकर्त्ता द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित निर्यात या आयात के किसी नए कारबार में "क्रियाकलाप" के अर्थ में शामिल किया जा सके।

[खंड 58]

6) धारा 29 का संशोधन किया जा रहा है जिससे बोर्ड को, सीमाशुल्क पत्तन या सीमाशुल्क हवाईअड्डा से भिन्न किसी अन्य स्थान पर जलयानों और वायुयानों के उतरने को अनुज्ञात करने के लिए सशक्त किया जा सके।

[खंड 59]

7) धारा 30 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे आयात मालसूची की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का और यह उपबंध किया जा सके कि सीमाशुल्क आयुक्त, उन मामलों में, जहां आयात मालसूची को इलेक्ट्रॉनिक रुप से प्रस्तुत करना साध्य नहीं है, किसी अन्य रीति से परिदत्त करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

[खंड 60]

8) धारा 41 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे निर्यात मालसूची की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का और यह उपबंध किया जा सके कि सीमाशुल्क आयुक्त, उन मामलों में, जहां निर्यात मालसूची को इलेक्ट्रॉनिक रुप से प्रस्तुत करना साध्य नहीं है, किसी अन्य रीति से परिदत्त करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

[खंड 61]

9) धारा 47 की उपधारा (2) का आयात शुल्क के संदाय के लिए ब्याज मुक्त अवधि को पांच दिन से घटा कर दो दिन करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।

[खंड 62]

10) धारा 49 का पब्लिक या प्राइवेट भांडागार में निकासी के लिए लंबित आयातित मालों के भंडारण की अवधि को तीस दिन तक निर्बंधित करने के लिए और यह उपबंध करने के लिए कि सीमाशुल्क आयुक्त भंडारण की अवधि का एक समय पर तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए विस्तार कर सकेगा, संशोधन किया जा रहा है।

[खंड 63]

11) यह उपबंध करने के लिए धारा 69 प्रतिस्थापित की जा रही है कि किसी भंडागारित माल का भारत से बाहर किसी स्थान को बिना किसी निर्यात शुल्क के संदाय के निर्यात किया जा सकेगा यदि धारा 82 में निर्दिष्ट मालों के साथ पोत पत्र या निर्यात पत्र विहित प्ररुप में या लेबल या घोषणा ऐसे मालों के संबंध में प्रस्तुत की जाती है।

[खंड 64]

12) धारा 104 की उपधारा (6) के अधीन अधिनियम के अधीन सभी अपराध जमानतीय हैं। उपधारा (6) को उपधारा (6) और उपधारा (7) के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है। उपधारा (6) यह उपबंध करती है कि धारा 135 के अधीन दंडनीय विनिर्दिष्ट अपराध अजमानतीय होंगें, अर्थात :-

(क) 50 लाख रुपए से अधिक के शुल्क का अपवंचन या उसके अपवंचन का प्रयास;

(ख) धारा 11 के अधीन निषिद्ध माल, जिन्हें धारा 135 की उपधारा (1) के खंड (i) के उपखंड (ग) के अधीन भी अधिसूचित किया गया है;

(ग) किन्ही ऐसे मालों का आयात या निर्यात जिनकी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार घोषणा नहीं की गई है और जिनका बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है;

(घ) इस अधिनियम के अधीन कपटपूर्वक शुल्क वापसी लेना या वापस लेने का प्रयास करना या उपबंधित शुल्क से छूट प्राप्त करना यदि शुल्क वापसी या शुल्क से छूट की रकम 50 लाख रुपए से अधिक है।

उपधारा (7) उपबंध करती है कि उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट अपराधों के सिवाए सभी अन्य अपराध जमानतीय होंगें।

[खंड 65]

13) यह उपबंध करने के लिए कि उन मामलों में जहां किसी अपील के निपटान में विलम्ब अपीलकर्ता के कारण हुआ नहीं माना गया है, अधिकरण, इस शर्त के अधीन रहते हुए रोक की अवधि का 185 दिन से अनधिक अवधि के लिए विस्तार कर सकेगा, किसी अपील का, आदेश की तारीख से 365 दिन की कुल अवधि के भीतर निपटान न करने की दशा में आदेश बातिल हो जाएगा, धारा 129ख की उपधारा (2क) में परंतुक अन्तःस्थापित किया जा रहा है।

[खंड 66]

14) अधिकरण की एकल न्यायपीठ की अपीलों को सुनने और निपटान करने की धनीय सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने के लिए धारा 129ग का संशोधन किया जा रहा है।

[खंड 67]

15) धारा 135(1) के खंड (i) के उपखंड (ख) और उपखंड (घ) में मालों के निर्यात के संबंध में शुल्क के अपवंचन या अपवंचन के प्रयास या कपटपूर्वक शुल्क वापसी लेना या शुल्क वापसी का प्रयास या मालों के निर्यात से संबंधित शुल्क से छूट से संबंधित अपराधों के लिए दंड की अवसीमा को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है।

[खंड 68]

16) धारा 142 में एक नया खंड (घ)-- (i) व्यतिक्रमी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को लिखित सूचना देकर, उससे, केन्द्रीय सरकार को ऐसे अन्य व्यक्ति से शोध्य धन की वसूली के लिए (ii) यह कि वह व्यक्ति जिसे ऐसी सूचना जारी की गई है, उसका अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा, और (iii) वह व्यक्ति जिसे सूचना जारी की गई है, अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसे, सूचना में विनिर्दिष्ट रकम की बाबत व्यतिक्रमी समझा जाएगा, का उपबंध करने के लिए अतःस्थापित किया जा रहा है।

[खंड 69]

17) धारा 143 का लोप किया जा रहा है।

[खंड 70]

18) मालों के किसी नमूने जिनका परीक्षण या जांच के दौरान उपभोग कर लिया गया है या जो नष्ट हो गए हैं, पर शुल्क दायित्व को समाप्त करने के लिए धारा 144 की उपधारा (3) का संशोधन किया जा रहा है।

[खंड 71]

19) वैश्विक प्रथा और अंतराष्ट्रीय रुप से स्वीकृत नामपद्धति पर विचार करते हुए, "सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता" के नाम को "सीमाशुल्क दलाल" करने के लिए धारा 146 को प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

[खंड 72]

20) धारा 146क का संशोधन किया जा रहा है, जिससे किः

(क) "सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता" पद को "सीमाशुल्क दलाल" से प्रतिस्थापित किए जा सके";

(ख) वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन किए गए किसी अपराध को, सीमाशुल्क से संबंधित मामलों में किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति की निरर्हता के रूप में सम्मिलित किया जा सके।

[खंड 73]

21) धारा 147 की उपधारा (3) का किन्ही मालों के स्वामी, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के अभिकर्ताओं के दायित्व की परिधि का विस्तार करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।

[खंड 74]

22) अधिसूचना सं. 27/2011-सीमाशुल्क तारीख 01-03-2011 के द्वारा शीर्ष 7210 और शीर्ष 7212 के अधीन आने वाले लौह या अमिश्रातु इस्पात के जिंक से लेपित या विलेपित सपाट बेल्लित उत्पादों को भूतलक्षी प्रभाव से 01.03.2011 से उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।

[खंड 75]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूचियों का संशोधन

1) (क) टैरिफ मद 03022400 और टैरिफ मद 03033400 के वर्तमान वर्णन को "टरबोटस (सेट्टा मेक्सिमा)" के रुप में परिवर्तित करने;

(ख) टैरिफ मद 15179020 (पीनट बटर) का लोप करने;

(ग) अध्याय 48 में अनुपूरक टिप्पण अंतःस्थापित करने;

(घ) शीर्ष 8703 के सामने टैरिफ दर को 100% से बढ़ाकर 125% करने;

(ङ) शीर्ष 8903 के सामने टैरिफ दर को 10% से बढ़ाकर 25% करने; के लिए

पहली अनुसूची का संशोधन किया जा रहा है।

[खंड 76]

2) दूसरी अनुसूची का निम्नलिखित के लिए संशोधन किया जा रहा हैः

(क) क्रम सं. 43 के सामने स्तंभ (2) में की प्रतिष्टि को भूतलक्षी प्रभाव से 01.03.2011 से "7210, 7212" प्रविष्टि से प्रतिस्थापित करने के लिए;

(ख) शीर्ष 1701 के अधीन अपरिष्कृत चीनी, सफेद या परिष्कृत चीनी पर 20% की निर्यात शुल्क की टैरिफ दर विहित करने के लिए प्रतिष्टि 9क अंतःस्थापित की जा रही है। तथापि, वर्तमान में किसी उत्पाद-शुल्क के उदग्रहण का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) क्रमशः शीर्ष टैरिफ मद 26060010 और टैरिफ मद 26060020 के अधीन बाक्साइट (प्राकृतिक), जो निष्तापित नहीं है और बाक्साइट (प्राकृतिक), जो निष्तापित है, पर 30% की निर्यात शुल्क की टैरिफ दर विहित करने के लिए प्रविष्टि 23क और प्रविष्टि 23ख अंतःस्थापित की जा रही है। प्रभावी दर 10% पर विहित की गई है।

(घ) क्रमशः शीर्ष टैरिफ मद 26140010 और टैरिफ मद 26140020 के अधीन प्रदीप्त अप्रसंस्कृत और प्रदीप्त उन्नत (बेनिफिसिएटेड प्रदीप्त, जिसके अंतर्गत प्रदीप्त ग्राउंड भी है) पर 30% की निर्यात शुल्क की टैरिफ पर विहित करने के लिए प्रविष्टि 24क और प्रविष्टि 24ख अंतःस्थापित की जा रही है। अप्रसंस्कृत प्रदीप्त पर 10% और उन्नत प्रदीप्त पर 5% की दर के रुप में प्रभावी दर विहित की जी रही है।

पैरा 1) और पैरा 2) (ख), (ग), (घ) में परिवर्तन, करों का अनंतिम संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण तुरंत प्रवृत्त होंगे।

[खंड 77]

सीमाशुल्क

क. साधारण

I) यात्री सामान नियमों का निम्नलिखित के लिए संशोधन किया जा रहा है,—

(i) किसी ऐसे भारतीय यात्री के लिए, जो एक वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहा है या ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने निवास को भारत में स्थानांतरित कर रहा है, आभूषण की बाबत निःशुल्क अनुज्ञेय सीमा को, किसी भद्र पुरुष यात्री की दशा में 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने और किसी महिला यात्री की दशा में 20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करने के लिए;

(ii) किसी जलयान/वायुयान के चालक दल के सदस्य के लिए निःशुल्क अनुज्ञेय सीमा को 600 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने के लिए।

ख. शुल्क की दरों में परिवर्तनों को अंतर्वलित करने वाले प्रस्ताव

I. कृषि/कृषि प्रसंस्करण/पोधारोपण क्षेत्रः

1) तुषयुक्त जई के दानों पर आधारिक सीमाशुल्क को 30% से घटाकर 15% किया जा रहा है।

2) पिंघल के फल पर आधारिक सीमाशुल्क को 30% से घटाकर 15% किया जा रहा है।

3) तेल निकाल ली गई चावल चोकर खली पर 10% के निर्यात शुल्क को वापस लिया जा रहा है।

II. **आटोमोबाइल्सः**

1) नई यात्री कारों और अन्य मोटर यानों (उच्च मूल्य कारों), पर, जिनका सीआईएफ मूल्य 40,000$ अमरीकी डालर से अधिक है और/या पेट्रोल चालित यानों के लिए जिनकी इंजन क्षमता 3000 सीसी और डीजल चालित यानों के लिए जिनकी इंजन क्षमता 2500 सीसी से अधिक है, आधारिक सीमाशुल्क 75% से बढ़ाकर 100% किया जा रहा है।

2) 800सीसी या अधिक की इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिलों पर आधारिक सीमाशुल्क को 60% से बढ़ाकर 75% किया जा रहा है।

III. **धातुः**

1) प्रदीप्त अप्रसंस्कृत पर 10% के निर्यात शुल्क और प्रदीप्त उन्नत पर 5% के निर्यात शुल्क का उदग्रहण किया जा रहा है।

2) बाक्साइट पर 10% के निर्यात शुल्क का उदग्रहण किया जा रहा है।

3) कैटालिटिक कन्वर्टरों और उनके पुर्जों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली स्टेनलेस स्टील वायर क्लॉथ स्ट्रिप पर आधारिक सीमाशुल्क को 10% से घटाकर 5% और वॉश कोट पर आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

4) कतिपय उपशीर्षों के अधीन आने वाली ग्लवनीकृत इस्पात शीटों पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट का उपबंध भूतलक्षी रुप से 01.03.2011 से किया जा रहा है।

IV. **बहुमूल्य धातुः**

1) बहुमूल्य और कम बहुमूल्य रत्नों के पूर्व-रुपों पर आधारिक सीमाशुल्क को 10% से घटाकर 2% किया जा रहा है।

V. **पूंजी माल/अवसंरचनाः**

1) भाप कोयला पर आधारित सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 2% और सीवीडी को 1% से बढ़ाकर 2% किया जा रहा है।

2) बिटुमिनस कोयला पर आधारिक सीमाशुल्क को 5% से घटाकर 2% और सीवीडी को 6% से घटाकर 2% किया जा रहा है।

3) चर्म और जूतादि उद्योग में उपयोग के लिए 20 विनिर्दिष्ट मशीनरी पर आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

VI. **वायुयान और पोतः**

1) याटों और मोटर बोटों पर आधारिक सीमाशुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% किया जा रहा है।

2) पोत मरम्मत युनिटों द्वारा आयातित मालों के उपभोग के लिए समय-सीमा को 3 मास से बढ़ाकर 1 वर्ष किया जा रहा है।

3) वायुयानों के अनुरक्षण, मरम्मत और संपूर्ण मरम्मत (एमआरओ) के क्रियाकलापों में लगी यूनिटों द्वारा उक्त क्रियाकलापों के लिए आयातित पुर्जों और परीक्षण उपकरणों के उपभोग/प्रतिष्ठापन के लिए समयावधि को 3 मास से बढ़ाकर 1 वर्ष किया जा रहा है।

4) वर्तमान में, आधारिक सीमाशुल्क छूट, वायुयानों के पुर्जों तथा उनके अनुरक्षण, मरम्मत और संपूर्ण मरम्मत के लिए परीक्षण उपस्करों के लिए उपलब्ध है। अब इस छूट का वायुयानों तथा उनके पूर्जों के रख-रखाव, मरम्मत तथा सम्पूर्ण मरम्मत के लिए पुर्जों और परीक्षण उपस्करों पर विस्तार किया जा रहा है।

VII. **पर्यावरण संरक्षणः**

1) आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट का, संकर और वैद्युत यानों के विनिर्माताओं को आपूर्ति के लिए लिथियम आयन बैटरी पैकों के विनिर्माण के लिए लिथियम आयन स्वचालित बैटरी पर विस्तार किया जा रहा है।

2) वैद्युत और संकर यानों के विनिर्दिष्ट पुर्जों के लिए छूट की समयावधि (शून्य आधारिक सीमाशुल्क, सीवीडी 6% और एसएडी शून्य) 2 और वर्षों के लिए 31 मार्च, 2015 तक बढ़ाई जा रही है।

VIII. **टैक्सटाइल**

1) सभी श्रेणियों के अपरिष्कृत रेशम (अप्रेक्षित) पर आधारिक सीमाशुल्क 5% से बढ़ाकर 15% किया जा रहा है।

2) टैक्सटाइल मशीनरी और उसके पुर्जों पर आधारिक सीमाशुल्क 7.5% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

IX. **इलैक्ट्रानिक्स/हार्डवेयरः**

1) टीवी के लिए सेट टॉप बाक्सों पर आधारिक सीमा शुल्क 5% से बढ़ाकर 10% किया जा रहा है।

X. **प्रकीर्ण**

1) भारत में आयोजित किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट के संबंध में खेल और युवा मामले विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी खेल निकाय द्वारा आयतित ट्राफी को आधारिक सीमाशुल्क और अतिरिक्त सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।

2) शिक्षा उपकर और वायुयानों तथा वायुयानों के पूर्जों, सोयाबीन तेल, जैतून तेल आदि पर गौण तथा उच्चतर शिक्षा उपकर से छूट को वापस लिया जाना।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधनः

(1) धारा 9 यह उपबंध करती है कि अवपंचन अन्तर्वलित करने वाला कोई ऐसा आपराधिक मामला, जिसमें उदग्रहणीय शुल्क तीस लाख रुपए से अधिक है, कारावास की ऐसी अवधि से दंडनीय होगा जो जुर्माने सहित सात वर्ष तक की हो सकेगी। इस धारा का संशोधन किया जा रहा है जिससे तीस लाख रुपए की रकम को पचास लाख रुपए से प्रतिस्थापित किया जा सके। *[खंड 78]*

(2) किसी अपराध को वहां संज्ञेय और अजमानतीय बनाने के लिए धारा 9क का संशोधन किया जा रहा है, जहां शुल्क दायित्व 50 लाख रुपए से अधिक है और धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (खखखख) के अधीन दण्डनीय है। *[खंड 79]*

(3) धारा 11 का संशोधन किया जा रहा है जिससे (i) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसे सरकार को धन की वसूली शोध्य है, भिन्न किसी व्यक्ति, जिससे उचित सूचना देने के पश्चात धन शोध्य है, यदि वह अन्य व्यक्ति प्रथम व्यक्ति के लिए या उसके लेखे धन रखता है। (ii) अन्य व्यक्ति; जिसको ऐसी सूचना जारी की गई है, अनुपालन करने के लिए आबद्ध है और (iii) यदि वह अन्य व्यक्ति, जिस पर सूचना तामील की गई है, अनुपाल करने में असफल रहता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन सभी परिणाम भुगतेगा, के लिए उपबंध किया जा सके। *[खंड 80]*

(4) उपधारा (7क) अन्तःस्थापित करने के लिए धारा 11क का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सदांय न किए गए, कम उदग्रहीत या गलती से प्रतिदत्त शुल्क के ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाले विवरण की तामील इस धारा की उपधारा (1), या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन सूचना की तामील समझी जाएगी। *[खंड 81]*

(5) धारा 11घघक में उपधारा (1) के प्रतिनिर्देश का लोप किया जा रहा है। *[खंड 82]*

(6) धारा 20 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि उपबंधों को केवल ऐसे अपराध के संबंध में लागू किया जा सके, जो असंज्ञेय है। *[खंड 83]*

(7) धारा 21 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर या निजी मुचलके पर छोड़ने संबंधी उपबंधों को केवल असंज्ञेय अपराध के संबंध में लागू किया जा सके। *[खंड 84]*

(8) धारा 23क का खंड (क) का "क्रियाकलाप" पद की परिभाषा का विस्तार करने के लिए संशोधन किया जा रहा है जिससे विद्यमान उत्पादक या विनिर्माता द्वारा आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित उत्पादन या विनिर्माण के किसी नए कारबार को उसमें सम्मिलित किया जा सके। *[खंड 85]*

(9) धारा 23ग की विद्यमान उपधारा (2), अन्य बातों के साथ-साथ, संदत्त या सदंत किया हुआ समझे गए उत्पाद शुल्क के प्रत्यय के लिए अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन की ग्राह्यता के लिए उपबंध करता है। ग्राह्यता की परिधि को निवेश सेवाओं पर सदंत्त या संदत्त किया हुआ समझे गए सेवा कर के प्रत्यय को सम्मिलित करने के लिए विस्तारित किया गया है। *[खंड 86]*

(10) धारा 23च में धारा 28झ के प्रतिनिर्देश को धारा 23घ से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। *[खंड 87]*

(11) धारा 35ग की उपधारा (2क) में एक नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उन मामलों में, जहां अपील के निपटारे में विलंब अपीलार्थी के कारण न हुआ माना जा सकता है, वहां अधिकरण रोक की अवधि को इस शर्त के अधीन रहते हुए 185 दिन से अनधिक की अवधि तक विस्तारित कर सकेगा कि यदि आदेश की तारीख से 365 दिन कुल अवधि के भीतर अपील का निपटारा नहीं किया जाता है, तो रोक बातिल कर दी जाएगी। *[खंड 88]*

(12) अपीलों की सुनवाई और उनके निपटारे के लिए अधिकरण की एकल न्यायपीठ की धनीय सीमा को "दस लाख रुपए" से बढ़ाकर "पचास लाख रुपए" करने के लिए धारा 35घ का संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 89]*

(13) धारा 37ग का केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा अनुमादित विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के परिदान के अर्थात्, परिदान के सबूत सहित स्पीड पोस्ट द्वारा या कुरियर के माध्यम से अतिरिक्त ढंगों को विनिर्दिष्ट करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 90]*

(14) तीसरी अनुसूची का निम्नलिखित करने के लिए संशोधन किया जा रहा हैः
- (क) ब्रांडीकृत और जैनरिक आयुर्वेदिक यूनानी, सिद्ध, होम्योपेथिक या जैव-रसायन औषधियों को शामिल करने के लिए क्रम संख्या 31क को अंतःस्थापित करने के लिए।
- (ख) प्रेशर कुकर से संबंधित क्रम संख्या 64 पर वर्तमान टैरिफ मद को टैरिफ मद "7615 10 11" से प्रतिस्थापित करने के लिए।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण पैरा 14, के परिवर्तन तुरंत प्रभावी होंगे। *[खंड 91]*

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 में संशोधनः

(1) पहली अनुसूची का निम्नलिखित के लिए संशोधन किया जा रहा हैः
- (क) टैरिफ मद 03022400 और 03033400 के वर्तमान वर्णन को "टरबोट्स (सेटा मैक्सिमा)" में परिवर्तित करने।
- (ख) टैरिफ मद 15179020 (पीनट बटर) का लोप करने।
- (ग) शीर्ष 2402 की विभिन्न लंबाईयों की सिगरेटों और सिगारों के लिए बढ़ी हुई दरों के साथ विद्यमान टैरिफ दरों का प्रतिस्थापन।
- (घ) शीर्ष 8703 की विनिर्दिष्ट टैरिफ मदों की टैरिफ दरों को बढ़ाकर 30% करना।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण पैरा 1) के परिवर्तन तुरंत प्रभावी होंगे। *[खंड 92]*

शुल्क की दरों में परिवर्तन अंतर्वलित करने वाले प्रस्ताव

I. कृषि/कृषि प्रसंस्करण/पौधारोपण सेक्टरः

(1) साबूदाना के विनिर्माण में विनिर्मित और कैप्टिव रूप से उपयोग किए गए साबूदाना और साबूदाना शर्करा पर उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट दी जा रही है।

2) किसी अन्य संघटक के साथ मिश्रित नहीं किए गए मेहन्दी पाउडर या पेस्ट पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट का उपबंध किया जा रहा है।

II. आटोमोबाइलः

(1) एसयूवी पर उत्पाद शुल्क 27% से बढ़ाकर 30% किया जा रहा है।

(2) ट्रक चैसिस (87060042) पर उत्पाद शुल्क 14% से घटाकर 13% किया जा रहा है।

(3) एसयूवी पर उत्पाद शुल्क 27% से बढ़ाकर 30% करने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के कारण टैक्सी के रूप में प्रयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत एसयूवी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एसयूवी के संबंध में टैक्सी प्रतिदाय का तदनुसार समायोजन किया जा रहा है।

III. धातुएंः

(1) जस्ता/सीसा के गलन से विनिर्मित चांदी पर 4% उत्पाद शुल्क उद्गृहीत किया जा रहा है।

(2) स्टेनलेस स्टील "पट्टा पट्टी" पर सम्मिश्रित उद्ग्रहण को 30,000 रुपए प्रति मशीन प्रति मास से बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रति मशीन प्रति मास किया जा रहा है।

(3) यह स्पष्ट किया जा रहा है कि 3500 प्रति मीट्रिक टन उत्पाद शुल्क से वर्तमान में उद्ग्रहणीय मद "हस्तशिल्प या बर्तनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित तांबें की कर्तित या अकर्तित चादरें या गोले" में पीतल समेत तांबा या तांबा मिश्रातु सम्मिलित है।

IV. वायुयान और जलयानः

(1) पोतों और अन्य जलयानों पर उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है। परिणामस्वरूप, आयात करते समय इन पोतों या जलयानों पर कोई सीवीडी नहीं होगी।

V. टैक्सटाइलः

(1) हस्त निर्मित कालीनों और कयर या जूट के कालीनों तथा अन्य टैक्सटाइल फर्श बिछावनों, चाहे वे हस्तनिर्मित हों या नहीं, पर उत्पाद- शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।

(2) बजट 2011-12 से पूर्व यथा विद्यमान शून्य उत्पाद-शुल्क मार्ग को, ब्रांडीकृत रेडीमेड वस्त्रों तथा निर्मितियों की बाबत प्रत्यावर्तित किया जा रहा है। सूत की दशा में, फाईबर की प्रक्रम पर शून्य शुल्क होगा और मानव निर्मित फाइबर के व्युतित सूत की दशा में, फाइबर के प्रक्रम पर 12% शुल्क होगा। शून्य उत्पाद-शुल्क मार्ग अब उपलब्ध सेनवेट मार्ग के अतिरिक्त होगा।

VI. स्वास्थ्य

(1) अधिकतम खुदरा मूल्य से 35% उपशमन के साथ ब्रांडीकृत आयुर्वेदिक औषधियों तथा यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव-रासायनिक तंत्र की औषधियों को एम.आर.पी. आधारित मूल्यांकन के अधीन लाया जा रहा है।

VII. इलैक्ट्रॉनिक्स/हार्डवेयरः

(1) 2000/-रु. से अधिक खुदरा विक्रय मूल्य के मोबाइल फोनों पर उत्पाद शुल्क को 1% से बढ़ाकर 6% किया जा रहा है।

VIII. प्रकीर्ण

(1) 65 मिमी से अनधिक लंबाई की सिगरेटों के सिवाय सभी सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क में लगभग 18% की वृद्धि की जा रही है। सिगार और सिगरिलोस पर भी शुल्क में समान रूप से वृद्धि की जा रही है।

(2) संगमरमर टाइलों और सिल्लियों पर उत्पाद शुल्क 30 रु. प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 60 रु. प्रति वर्ग मीटर किया जा रहा है।

(3) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्षेत्र आधारित छूट स्कीम के अधीन छूट प्राप्त इकाईयों द्वारा विनिर्मित और उपभोग किए गए मध्यवर्ती मालों पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।

सेवा कर

I. वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय-5 में प्रस्तावित संशोधन

वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय-5 का संशोधन किया जा रहा है :

(i) धारा 65 ख (11) में उपबंधित, 'अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठयक्रम' की परिभाषा का संशोधन किया जा रहा हैः पहले, 'या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एससीवीटी)' शब्दों को (i) में अन्तःस्थापित किया जा रहा है और दूसरा चूंकि एनएसडीसी एक सहबद्धकारी निकाय नहीं है इसलिए मद क्रम संख्या (iii) प्रविष्टि का लोप किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन के प्रभावी होने के पश्चात राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से सहबद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रस्थापित, 'अभिहित ट्रेड' भी नकारात्मक सूची के अंतर्गत लाए जाएंगे ;

(ii) धारा 65 ख (40) में, 'माल के विनिर्माण या उत्पादन के समतुल्य प्रक्रिया' की परिभाषा का संशोधन किया जा रहा है ताकि उन प्रक्रियाओं को शामिल किया जा सके जिन पर औषधीय और प्रसाधन निमिर्तियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) के अधीन उत्पाद शुल्क उदग्रहणीय है;

(iii) कठिनाइयों के दूर करना आदेश 2/2012 में अंतर्विष्ट स्पष्टीकरण को एक पृथक धारा 66 (सकारात्मक सूची दृष्टिकोण के अधीन प्रभारी धारा) के धारा, अर्थात् 66 खक के रूप में लाया जा रहा है। इस धारा के प्राधिकार द्वारा, वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 या कियी अन्य विधि में धारा 66 "सकारात्मक सूची दृष्टिकोण के अधीन प्रभारी धारा" के निर्देशों का अर्थ 1 जुलाई, 2012 से धारा 66ख (नकारात्मक सूची अप्रोच के अधीन प्रभारी धारा) के प्रति लगाया जाएगा। वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 और वित्त अधिनियम, 2007 में शिक्षा उपकरों के सन्दर्भ में धारा 66 के प्रति निर्देश इस नई धारा के अनुसार धारा 66ख के प्रति निर्देश माना जाएगा;

(iv) धारा 66घ (घ)(i) में, 'बीज परीक्षण' अभिव्यक्ति से, 'बीज' शब्द का लोप किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, किसी कृषि उत्पाद के उत्पादन से प्रत्यक्षतः संबद्ध परीक्षण क्रियाकलाप जैसे मृदा परीक्षण, पशु आहार परीक्षण, रोग कारक जीवाणुओं के लिए पीड़क जन्तु और पादप या पशुओं से नमूनों का परीक्षण नकारात्मक सूची के अन्तर्गत आएंगे ;

(v) केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1944 की धारा 11 क की उपधारा (9) के समान धारा 73 में एक नई उपधारा (2क) केन्द्रीय उत्पाद और सेवा विधि का सुमेलीकरण करने के लिए अंतःस्थापित की जा रही है । इसके परिणामस्वरूप, यदि धारा 73 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन जारी किसी कारण बताओ सूचना को, किसी अपील प्राधिकरण, अधिकरण या न्यायालय द्वारा कायम रखने योग्य नहीं पाया जाता है तो उसे अठारह मास की अवधि के लिए जारी सूचना समझा जाएगा ;

(vi) धारा 77 की उपधारा (1) के खंड (क) का ऐसी रीति में संशोधन किया जा रहा है कि रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में असफलता के लिए अधिकतम अधिरोपणीय शास्ति केवल दस हजार रुपए होगी ;

(vii) किसी कंपनी के ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी पर, जो किसी भी रीति में जानबूझकर विनिर्दिष्ट उल्लंघनों से संबद्ध है, शास्ति अधिरोपित करने हेतु उपबंध करने के लिए धारा 78क लाई जा रही है ;

(viii) धारा 86 की उपधारा (5) में समुचित रूप से 'उपधारा (1) या' पद अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है। अतः, निर्धारिती की अपील के मामले में भी अपील अधिकरण सुसंगत अवधि के अवसान के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकता है या प्रति-आक्षेप ज्ञापन फाइल करने की अनुमति प्रदान कर सकता है ;

(ix) धारा 89 का निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है : (i) उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की दशा में, जहां रकम पचास लाख रुपए से अधिक है, वहां दंड ऐसी अवधि का कारावास होगा, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु किसी भी दशा में छह मास से कम नहीं होगी ; (ii) संगृहीत सेवा कर का, छह मास के भीतर केन्द्रीय सरकार के जमाखाते में संदाय करने में असफल रहने की दशा में, जो धारा 89(1)(घ) में विनिर्दिष्ट एक अपराध है, यदि ऐसे असंदाय की रकम पचास लाख रुपए से अधिक है तो दंड ऐसी अवधि का कारावास होगा, जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु छह मास से कम नहीं होगी ; (iii) किसी अन्य अपराध की दशा में, दंड ऐसी अवधि का कारावास होगा, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी ;

(x) संज्ञेय अपराधों और असंज्ञेय अपराधों तथा अजमानतीय अपराधों को विनिर्दिष्ट करने तथा उनमें अंतर करने के लिए धारा 90 लाई जा रही है ;

(xi) गिरफ्तार करने की शक्ति का उपबंध करने के लिए धारा 91 लाई जा रही है ; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के किसी अधिकारी को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक से निम्न पंक्ति का न हो, विनिर्दिष्ट अपराधों, विशेषकर संगृहीत सेवाकर के असंदाय के अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु सशक्त है ;

(xii) धारा 95 का, वित्त विधेयक, 2013 के माध्यम से किए गए संशोधनों की बाबत कठिनाई को दूर करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए संशोधन किया जा रहा है ।

II. भूतलक्षी छूट

भारतीय रेल को, 01.07.2012 से पूर्व की अवधि के दौरान उसके द्वारा प्रदान की गई विभिन्न कराधेय सेवाओं पर उद्ग्रहणीय सेवाकर पर भूतलक्षी छूट उस सीमा तक विस्तारित की जा रही है जिस तक 28 फरवरी, 2013 तक कारण बताओ सूचनाएं जारी की गई हैं। इस प्रयोजन के लिए धारा 99 वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में जोड़ी जा रही है ।

III. उपशमन का सुव्यवथीकरण

वर्तमान में, सेवाकर प्रयोजन के लिए कराधेय भाग सनिर्माणों के लिए 25 प्रतिशत एक समान रूप में वहां विहित किया गया है, जहां भूमि का मूल्य, सेवा प्राप्तिकर्ता से प्रभारित रकम में सम्मिलित किया गया है। इसे सुव्यवस्थित किया जा रहा है। तदनुसार, जहां आवासीय यूनिट का कारपेट क्षेत्र 2000 वर्ग फुट तक है या पूर्णतः या भागतः किसी क्रेता को विक्रय के लिए आशयित परिसर, भवन या सिविल संरचना या उसके किसी भाग के संनिर्माण की दशा में, सिवाय वहां के जहां 'सक्षम प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के पश्चात सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त किया जाता है, एक करोड़ रुपए से कम रकम प्रभारित की जाती है' वहां सेवाकर प्रयोजन के लिए कराधेय भाग 25% के रूप में बना रहेगा; अन्य सभी मामलों में, सेवाकर प्रयोजन के लिए कराधेय भाग 30% होगा। यह परिवर्तन 1 मार्च, 2013 से प्रभावी होगा।

IV. छूटों (जिन्हें 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होना है) का पुनर्विलोकन

(क) निम्नलिखित छूटों का सुव्यवस्थीकरण किया जा रहा हैः—

- ऐसे पूर्त संगठनों के लिए छूट सीमा का सुव्यवस्थीकरण विहित किया गया है जो साधारण जन उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए सेवा प्रदान करते हैं। अभी तक, यह सीमा 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष थी। अब उन्हें अवसीमा छूट कं अंतर्गत लाया जाएगा।
- उन रेस्तरांओं से भिन्न रेस्तरांओं को, जिनके पास (i) वातानुकूलन और (ii) लिकर परोसने की अनुज्ञप्ति है, को प्रदान छूट का सुव्यवस्थीकरण किया गया है ; 'लिकर परोसने के लिए अनुज्ञप्ति, के संबंध में शर्त का लोप किया जा रहा है। अतः 1 अप्रैल, 2013 से, सेवाकर वर्ष के दौरान किसी समय स्थापन में वातानुकूलन या उसके किसी भाग में केन्द्रीय वायु तापन युक्त रेस्तराओं में प्रदान की गई कराधेय सेवा पर उद्ग्रहणीय होगा।
- सड़क और रेल/जलयान द्वारा माल के परिवहन को छूट का सुव्यवस्थीकरण।

(ख) निम्नलिखित छूटें वापस ली जा रही है :

- स्थावर संपत्ति को किराए पर देने के माध्यम से किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा दी गई सेवाऐं ।
- अब तक सिनेमेटोग्राफिक फिल्मों से संबंधित प्रतिलिप्याधिकार का अस्थायी अंतरण या उसका उपयोग अथवा उपभोग अनुज्ञात करना पूर्णतः छूट प्राप्त था; अब यह छूट सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का प्रदर्शन सिनेमा हॉल या सिनेमा थिएटर में करने तक निर्बंधित होगी।
- जन साधारण को यान की पार्किंग के रूप में सेवाएं।
- वायुयान की मरम्मत या अनुरक्षण के माध्यम से सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या शासकीय प्राधिकारी को दी गई सेवाएं।

V. फाइल न करने वाले या फाइल करना रोक देने वाले व्यक्तियों को क्षमा स्कीम

(i) स्वेच्छया अनुपालन को बढ़ावा देने तथा कर आधार को व्यापक बनाने के लिए ब्याज और शास्ति के त्यजन ; और (ii) अभियोजन से उन्मुक्ति के माध्यम से फाइल न करने वाले या फाइल करना रोक देने वाले व्यक्तियों, या रजिस्टर न करने वाले अथवा सेवा प्रदाताओं को, जो 'बकाया करों' का संदाय करते हैं और जिन्होंने अक्टूबर, 2007 से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान उनके द्वारा फाइल की गई विवरणियों में अपने सही दायित्व का प्रकटन नहीं किया है, एक बार क्षमा करने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के ब्यौरे वित्त विधेयक, 2013 के अध्याय 6 में उपलब्ध हैं । यह स्कीम उस तारीख से प्रभावी होगी जिसको वित्त विधेयक, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।

VI. अग्रिम विनिर्णय

निवासी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को सम्मिलित करने हेतु अग्रिम विनिर्णय की परिधि का विस्तार किया जा रहा है ; वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 96 क(ख)(iii) के अधीन इस प्रयोजन के लिए एक अधिसूचना जारी की जा रही है।